संख्या-56 /2018/२२२९/33-3-2018-100(26)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: १० जुलाई, 2018

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2018-19 के लिए संस्तुत बुनियादी की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/शा/1072/2018-8/62/2018, दिनांक 04.07.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि रू. 35743700000/-(रू. पैंतीस अरब चौहत्तर करोड सैंतीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत

shasanadesh.up.nic.in

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2018-19 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

पंचायतीराज विभाग

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में सामान्य बुनियादी अनुदान (बेसिक ग्रान्ट) की प्रथम किश्त का ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का जनपदवार फाट

धनराशि रूण् में।

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि (बेसिक ग्रान्ट प्रथम किश्त वर्ष 2018-19)
1	2	3
1	मेरठ	476318232
2	बागपत	363508927
3	गाजियाबाद	406253777
4	गौतमबुद्धनगर	286916643
5	बुलन्दशहर	589658385
6	सहारनपुर	567092196
7	मुजफ्फरनगर	511134954
8	आगरा	582231622
9	अलीगढ़	533636954
10	हाथरस	377651839
11	एटा	373044076
12	कासगंज	327282462
13	मैनपुरी	393101687
14	मथुरा	428800890
15	फिरोजाबाद	434132035
16	बरेली	593073776
17	बदायू	523895099
18	पीलीभीत	427768744
19	शाहजहापुर	507314029

shasanadesh.up.nic.in

20	मुरादाबाद	441219527
21	अमरोहा	368359706
22	रामपुर	401363642
23	बिजनौर	646336274
24	लखनऊ	513558703
25	रायबरेली	537609575
26	अमेठी	428363606
27	हरदोई	732555210
28	उन्नाव	568231715
29	सीतापुर	816449409
30	खीरी	739408836
31	फैजाबाद	483735608
32	अम्बेडकर नगर	461340654
33	सुल्तानपुर	492319485
34	बाराबंकी	614487086
35	गोण्डा	600580330
36	बलरामपुर	395878330
37	बहराइच	561602503
38	श्रावस्ती	253391395
39	इलाहाबाद	855125061
40	कौशाम्बी	375362631
41	फतेहपुर	502110477
42	प्रतापगढ़	579367395
43	वाराणसी	476032177
44	चन्दौली	391723656
45	गाजीपुर	627707343
46	जौनपुर	777000678

shasanadesh.up.nic.in

47	मिर्जापुर	506344073
48	सोनभद्र	504042966
49	संतरविदासनगर (भदोही)	341573418
50	हमीरपुर	293180767
51	बांदा	375458064
52	चित्रकूट	316094094
53	महोबा	280298786
54	गोरखपुर	676072305
55	महाराजगंज	482370452
56	देवरिया	536037986
57	कुशीनगर	583156185
58	बस्ती	463867362
59	सन्त कबीर नगर	359464662
60	सिद्धार्थ नगर	454688155
61	आजमगढ़	791337138
62	मऊ	392428393
63	बलिया	550074798
64	कानपुर नगर	378248883
65	कानपुर देहात	446773592
66	फर्रूखाबाद	374703393
67	कन्नौज	360207461
68	इटावा	357932456
69	औरैया	348552765
70	झांसी	374724982
71	ललितपुर	339849496
72	जालौन	335589637
73	शामली	322744897

shasanadesh.up.nic.in

74	संम्भल	410490097
75	हापुड़	443355398
	योग-	**35743700000**

रू. 35743700000/- (रू. पैंतीस अरब चौहत्तर करोड सैंतीस लाख मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in